



दिनांक: 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 आर्म्स एक्ट में 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे 02 चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.08.2024 की रात्रि को दौराने गस्त/रात्रि चैकिंग थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुल्ला नगराजपुर तिराहे से 1. मुशर्रफ S/O परवेज R/O ग्राम सलेपुर भूकडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 2. आर्यन उर्फ कन्हैया उर्फ घोघड S/O नरेन्द्र R/O ग्राम सलेमपुर भूकडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 02 चाकू बरामद हुए हैं। बरामदगी के सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 346/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त गणों को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. मुशर्रफ पुत्र परवेज निवासी ग्राम सलेमपुर भूखडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. आर्यन उर्फ कन्हैया उर्फ घोघड पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम सलेमपुर भूखडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

02 चाकू

अभियुक्त आर्यन उर्फ कन्हैया उर्फ घोघड का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 175/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
मु0अ0स0 193/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अजय कुमार सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. है0का0 843 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. का0 1551 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सहारनपुर के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के नेतृत्व में दिनांक 20.08.2024 की रात्रि को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मु0अ0सं0 73/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना गागलहेड़ी का नामित/वांछित अभियुक्त **जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र विरेन्द्र निवासी बेबडी लैंसडाउन, पौड़ी गढवाल उत्तराखण्ड** को मुखबिर की सूचना पर बडकलां अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र विरेन्द्र निवासी बेबडी लैंसडाउनपौड़ी गढवाल उत्तराखण्ड

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 119/23 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना गागलहेड़ी
2. मु0अ0सं0 73/24 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जिला स0पुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त प्रदीप पुत्र लहणा सिंह निवासी गणेशपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 255/2009 धारा 504 भादवि को सम्बन्धित वाद संख्या 340/2020 चालानी थाना बिहारीगढ को उसके मसकन ग्राम गणेशपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. प्रदीप पुत्र लहणा सिंह निवासी ग्राम गणेशपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम:-

1. उ0नि0 श्री विनोद तेवतिया थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. का0 2226 अमित कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.24 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **शुभम पुत्र अनिल निवासी हरिजन बस्ती कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 149/24 मु0अ0सं0 221/22 धारा 398/401 भादवि को घास मण्डी तिराहे कस्बा छुटमलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता:-

1. शुभम पुत्र अनिल निवासी हरिजन बस्ती कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. का0 2404 अमित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक:- 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में उ०नि० रामबीर सिंह व उ०नि० चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा द्वारा मय हमराह फोर्स के वारण्टी अभियुक्त **मोनू पुत्र राजपाल निवासी मौ० रामनगर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं० – 5388/24 मु०अ०स० 74/04 धारा 379 भादवि एवं वारण्टी अभियुक्त **उस्मान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम धौलपडा थाना सरसावा स०पुर** सम्बन्धित वाद सं० – 1918/22 केस न० 199/22 धारा 8/15 एनडीपीएस को उनके मस्कन से को समय से मा०न्या० के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पते:-

1. मोनू पुत्र राजपाल निवासी मौ० रामनगर थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. उस्मान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम धौलपडा थाना सरसावा स०पुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० उ०नि० रामबीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ०नि० चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा स०पुर
3. हे०का० 71 प्रदीप कुमार थाना सरसावा स०पुर
4. का० 1497 मोनू थाना सरसावा स०पुर



प्रेस नोट

दिनांक: 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वांछित चोर गिरफ्तार, कब्जे से कम्पनी की साइट से चोरी किये 15 पाइप लोहे के व 22 प्लेट्स लोहे की बरामद ।

अवगत कराना है कि दि० 20.08.2024 को वादी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता पुत्र भीमचन्द गुप्ता निवासी रानीबाग दिल्ली 34 की लिखित तहरीर के आधार पर बावत अभियुक्तगण 1.सुनील पुत्र राजबीर 2. नितिन पुत्र राजबीर नि ग्राम रिवाड़ा थाना जहागीराबाद जिला बुलन्दशहर द्वारा वादी की शेड ग्राम जन्धेडा समसपुर से विभिन्न-02 साइज की 28 एम०एस० प्लेट, व 04 ईंच के 06 पाइप, तथा 02 ईंची के 09 पाइप, चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे दाखिल किया था। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं० 310/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.08.2024 को थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान स्कूटी न० UP 13 BQ 9812 JUPITER पर सवार दो व्यक्ति जो लोहे की प्लेट रखकर ले जा रहे थे को संदिग्ध प्रतीत होने पर रोककर पूछताछ की गयी तो स्कूटी सवार दोनो व्यक्ति उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभि पाये गये। अभियुक्तगण की पहचान **सुनील कुमार व नितिन पुत्रगण राजवीर नि०गण ग्राम रिवाड़ा थाना-जहाँगीराबाद, जनपद -बुलन्दशहर** के रूप मे हुई है, जिनको चुनेटी अंडरपास के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही/कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 15 पाइप लोहे के व 22 प्लेट्स लोहे की अलग अलग साइज की बरामद की गयी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी तथा बरामद स्कूटी के कागजात न होने के कारण धारा 207 एमवीएक्ट मे सीज किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्लेट्स के बारे मे पूछा तो पकड़े गए व्यक्तियों ने एक सुर मे बताया की हम दोनों भाई है। हम दोनों राजदीप कन्स्ट्रक्सन मे वैल्विंग का कार्य करते हैं। ये प्लेट्स हमने 3-4 दिन पहले ग्राम जंधेड़ा समसपुर मे रेलवे अंडरपास की साइट से चोरी किए हैं जिनको हम आज सहारनपुर शहर मे कबाड़ी को बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने हमे पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण:-

15 पाइप लोहे के व 22 प्लेट्स लोहे अलग -अलग साइज के

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

- 1.सुनील कुमार पुत्र राजवीर नि० ग्राम रिवाड़ा थाना-जहाँगीराबाद, जनपद -बुलन्दशहर
- 2.नितिन कुमार पुत्र राजवीर नि० ग्राम – रिवाड़ा थाना जहाँगीराबाद, जनपद – बुलन्दशहर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक सन्तोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- 2.उ०नि० श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री प्रवीण कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- 4.का० 2380 हरवेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- 5.का० 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



दिनांक - 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा छेडछाड का 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त जुनैद पुत्र इनाम नि0 आबकारी भवन के पास नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ छेडछाड करने मारपीट, गाली-गलौज करने तथा जान से मारने कि धमकी के सम्बन्ध मे दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 214/2024 धारा 115/74/351(3)/352 बी0एन0एस0 व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.08.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **जुनैद पुत्र इनाम नि0 आबकारी भवन के पास नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** उम्र 22 वर्ष को ढमोला नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जुनैद पुत्र इनाम नि0 आबकारी भवन के पास नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रवि राठौर, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0कां0 217 बृजमोहन, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. का0 2343 संदीप कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 17 मोबाईल फोन व 02 चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21/08/2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा माधव नगर की पुलिया के पास से समय करीब 13.00 बजे अभि0 1. शेरु उर्फ इकबाल पुत्र मौ0 अहमद निवासी तकिया कालोनी किराये का मकान मुन्नू नियर सपना टाकिज थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर व अभि0 2. प्रवेज पुत्र इरफान पता 62 फुटा, जनता पैलेस, थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर को कुल 17 मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा जिनकी तलाशी से 01-01 चाकू नाजायज भी बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 208/24 धारा 317(5)/3(5) BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बरामद मोबाइल फोन को विधिक कार्यवाही कर उनके स्वामियों के सुपुर्द किया जायेगा।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हम दोनो अक्सर रेलवे स्टेशन के आस-पास जब यात्री सो जाते हैं तो मौका देखकर उनके मोबाइल फोन चोरी कर निकाल लेते हैं एवं उन्हें इकट्ठा कर बेच देते हैं। आज भी हम इन फोनो को इकट्ठा कर बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया। अभियुक्त शेरु व प्रवेज उपरोक्त राज मिस्त्री का कार्य करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पते:-

1. शेरु उर्फ इकबाल पुत्र मौ0 अहमद निवासी तकिया कालोनी किराये का मकान मुन्नू नियर सपना टाकिज थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र 30 वर्ष
2. प्रवेज पुत्र इरफान पता 62 फुटा, जनता पैलेस, थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर उम्र 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास:- निल

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त शेरु उर्फ इकबाल उपरोक्त के कब्जे से 10 मोबाईल फोन व 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया। बरामद मोबाईल फोन का विवरण निम्नवत है:-

- (1) मोबाईल कम्पनी का नाम REALME C 31, रंग काला, IMEI 866909063726975, 866909063726967
- (2) मोबाईल कम्पनी का नाम REDMI 9A, रंग आसमानी, IMEI 863537052067698, 863537052067706
- (3) मोबाईल कम्पनी का नाम VIVO Y-19, रंग आसमानी
- (4) मोबाईल कम्पनी का नाम SAMSUNG GALAXY A-10s, रंग काला, imei 352120119338796, 352119119338798

- (5) मोबाईल कम्पनी का नाम vivo y-16, रंग गोल्डन, imei 862682060176841, 86268206017858
- (6) मोबाईल कम्पनी का नाम redmi note 10 pro, रंग रेडिश, imei 867217051048330, 867217051048348
- (7) मोबाईल कम्पनी का नाम SAMSUNG GALAXY A14, रंग कथई, IMEI 350339950744027, 357558330744026
- (8) मोबाईल कम्पनी का नाम VIVO Y 21T, रंग सफेद, IMEI 862200058027239
- (9) मोबाईल कम्पनी का नाम SAMSUNG GALAXY A04E, रंग नीला, IMEI 350292737029515, 350292735029511
- (10) मोबाईल कम्पनी का नाम SAMSUNG J7, रंग काला, IMEI 3594730706966217, 3594740706966215

2. प्रवेज उपरोक्त के कब्जे से 07 मोबाईल फोन व 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया। बरामद मोबाईल फोन का विवरण निम्नवत है:-

- (1) मोबाईल कम्पनी का नाम LAVA BLAZE 2, रंग हल्का नीला, IMEI 355646241286070, 355646241286088
- (2) मोबाईल कम्पनी का नाम ONE PLUS NORD CE3 LITE, रंग गहरा हरा, IMEI 861797070884118, 861797070884100
- (3) मोबाईल कम्पनी का नाम OPPO A78, रंग हल्का नीला, IMEI 860838069026633, 860838069026625
- (4) मोबाईल कम्पनी का नाम OPPO A 59, रंग सफेद, IMEI 8968938060841972, 868938060841964
- (5) मोबाईल कम्पनी का नाम OPPO 31a, रंग काला, IMEI 864717048123859, 864717048123842,
- (6) मोबाईल कम्पनी का नाम OPPO F 9, रंग काला, IMEI 865468041842793, 865468041842785
- (7) मोबाईल कम्पनी का नाम VIVO 29 PRO, रंग हल्का हरा, IMEI 863580075802113

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. का0 1354 अभिषेक थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर पशु चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये जानवर को बेचकर कमाये गये 50,000 रुपये बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.05.2024 को वादी श्री श्री सुखपाल पुत्र सुखवीर सिंह निवासी मौ0 नन्दपुरी गली नं0 01 चौधरी निवासी वाली गली थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत स्वयं के सुअर (जानवर) बाडा से अज्ञात चोर द्वारा सुअर (जानवर) बाडे से 03 मादा व 02 नर सुअर (जानवर) चोरी करने के सम्बन्ध में दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 142/2024 धारा- 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 02.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त रिनु उर्फ रंजीत पुत्र ओम प्रकाश निवासी गंगोह रोड लेबर बस्ती के पास नन्दपुरी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को सर्किट हाऊस के पास मौहल्ला रामघाट से पहले आईटीसी रोड पर सडक पर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से सुअर को बेचकर प्राप्त किये गये रूपयों में से 50,000 रुपये बरामद हुए। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभि0 रिनु उर्फ रंजीत पुत्र ओम प्रकाश निवासी गंगोह रोड लेबर बस्ती के पास नन्दपुरी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर द्वारा बताया कि मैंने अपने मौहल्ले के सुखपाल पुत्र सुखबीर सिंह के बाडे से अपने साथी बुग्गा उर्फ रामपाल पुत्र दीनानाथ बाल्मिकी निवासी बस स्टैण्ड के पास मौहल्ला लाजपतनगर यमुनानगर हरियाणा के साथ मिलकर दिनांक 28.04.24 को रात्री मे 05 सुअर चोरी किये थे जिन्हे हमने हरियाणा मे ले जाकर बेच दिया था मेरे हिस्से मे एक लाख रूपये आये थे जिनमे से मैंने 50,000 रूपये खर्च कर दिये थे तथा बचे हुए 50,000 रूपयो को आज मैं बैंक मे जमा करने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने मुझे उन 50,000 रूपयो के साथ पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

रिनु उर्फ रंजीत पुत्र ओम प्रकाश निवासी गंगोह रोड लेबर बस्ती के पास नन्दपुरी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

50,000 रूपये (मु0अ0सं0 142/2024 धारा- 380/411 भादवि से सम्बन्धित)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 12 अंकुश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2033 अजय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।